

कार्यालय तहसीलदार (मू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 20

क्रमांक:-मू.अ./20 - /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

सुबाना नि युलाब
मोतीराम नि युलाब सुभाब

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुबाना नि युलाब पिता मोतीराम नि युलाब सुभाब नि साम्भरपुरा पह नेरावल मध के राजस्व ग्राम नेरावल मध में जमाबन्दी संवत् 2078-8) की खाता संख्या 9,10,219 जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व मू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम मोतीराम नि युलाब जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम मोतीराम नि युलाब का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-सीडर/2025/ 817

दिनांक:-10/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का नेरावल मधराज

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री मोतीराम पिता युलाब लाल राजस्व ग्राम नेरावल मध पह नेरावल मध की खाता संख्या 9,10,219 जाति/नाम सुबाना नि युलाब दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व मू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मोतीराम पिता युलाब लाल जाति/नाम मोतीराम नि युलाब लाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. नेरावल मधराज राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।